कार्यवृत्त

शुक्रवार, 15 मार्गशीर्ष, शक संवत्, 1941

(दिनांक : 06 दिसम्बर, 2019)

खण्ड–55

अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही मा0 नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा उत्तराखण्उ परिवहन निगम द्वारा खरीदी गई 150 नई बसों में तकनीकी खराबी आने और बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एस0आई0टी0 जांच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत सुने जाने की मांग करने लगे। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें। लेकिन नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग पर अड़े रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगे हैं, इसलिए प्रश्नकाल होने दें। लेकिन नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खड़े होकर नियम–310 में चर्चा कराये जाने की पुनः मांग करने लगे।

श्री अध्यक्ष द्वारा पुनः अनुरोध किए जाने पर भी मा0 नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी सदस्य नियम–310 के तहत चर्चा कराए जाने की मांग पर अड़े रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा, वे नियम–310 की इस सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगे। तत्पश्चात् मा0 नेता प्रतिपक्ष व विपक्ष के सभी सदस्यों ने अपना–अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गए, उत्तर दिए गए।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि गत सत्र की भांति इस सत्र में भी अभी तक हुए उपवेशन की कार्यसूची में अंकित सभी प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकाल में दिए गए।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–300 के अन्तर्गत 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वे इनमें से 07 सूचनाएं स्वीकार कर रहे हैं। निम्नलिखित सूचनाएं मा0 सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लाई गईः–

1. श्री उमेश शर्मा (काऊ)	जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड के अन्तर्गत शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग के छात्रों को निर्धारित 25% कोटे के अन्तर्गत प्रवेश न दिए जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2 श्री खजान दास	राजपुर रोड विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में खुले में बह रही जीर्ण–शीर्ण सीवर लाइनों एवं ओवरफ्लो हो रहे मेनहोल चैम्बरों को ठीक किए जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3 श्री मुकेश सिंह कोली	पौड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बौखाल व बड़खोलु स्थान पर स्वीकृत मोटर पुलों का कार्य प्रारम्भ न हो पाने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4 श्री हरबन्स कपूर	राज्य के शहरी क्षेत्रों में स्थित पार्कों/उद्यानों के विकास एवं रखरखाव के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

5 श्री बलवन्त सिंह भौंर्याल	कपकोट विधान सभा क्षेत्र में गुलदार द्वारा जनहानि व पालतू पशुओं की हानि का वर्ष 2017 से मुआवजा न मिलने पर व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। (पढ़ी हुई मानी गई।)
6 श्री बिशन सिंह चुफाल	जनपद पिथौरागढ़ के जौलजीबी से झूलाघाट सड़क तक भारत–नेपाल सीमा से जोड़ने वाली सड़क का डामरीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।
7 श्रीमती ऋतु खण्ड्डी भूषण	विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विभिन्न्न ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुचारू रखने हेतु विद्युत विभाग के देयकों के भुगतान की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में।

(पढ़ी हुई मानी गई।)

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2019 के द्वितीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किए गए प्रक्रिया सम्बन्ध ी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड,उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 50(5)(क) के अधीन पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अष्टादश वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक) को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने कम्पनी एक्ट, 2013 अध्याय–23, धारा–395 की उपधारा–1 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 2017–18 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखण्ड कैम्पा) के वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखा।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम अकबरपुर कालसों में श्मशान घाट की चाहरदीवारी के सम्बन्ध में" श्री जुल्फान पुत्र श्री अब्दुल हमीद, ग्राम अकबरपुर कालसों, पो0 हल्लूमाजरा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकन्दर भैंसवाल में गागलहेड़ी मेन रोड से हारून के मकान की ओर सी0 सी0 सड़क निर्माण के सम्बन्ध में" श्री अकरम पुत्र श्री

निसार, ग्राम–सिकन्दर भैंसवाल, पो0–खास, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम सिकरो्डा (खालापार) में क्षतिग्रस्त पुल निर्माण करने के सम्बन्ध में" श्री नितिन पुत्र श्री सेवाराम, ग्राम व पो0–सिकरोडा, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र टिहरी में धार्मिक पर्यटन को बढावा देने के लिए टिहरी जनपद के सिद्धपीठ माँ सुरकण्डा, माँ चन्द्रबदनी, माँ राजराजेश्वरी, बाबा मानिकानाथ, घण्टाकर्ण (घण्डियाल) सेममुखेम, खैट व पीठी पर्वत का देव दर्शिनी सर्किट बनाए जाने के सम्बन्ध में'' श्री जयवीर सिंह रावत ग्राम मंगरौं जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''भारत सरकार द्वारा वन भूमि पर लम्बे समय से रह रहे लोगों को भूमिधरी का अधिकार अथवा स्थायीकरण का कानून पास किए जाने के बाद भी उत्तराखण्ड में अनादिकाल में हक हकूक के आधार पर वन क्षेत्र के अन्तर्गत रह रहे सैकड़ों परिवारों/गांव कस्बों का अभी तक स्थायीकरण नहीं किए जाने के सम्बन्ध में'' श्री विरेन्द्र सिंह नेगी, ग्राम व पो0 काण्डाताल, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गई।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–65 के अन्तर्गत अपनी जाति प्रमाण पत्र से सम्बन्धित सूचना पर कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा वे इसका परीक्षण कराने के बाद विनिश्चय देगें।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा (आवासीय एवं अन्य सुविधाएं) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद मण्डी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी, जो प्रदान की गई।

संसदीय कार्य मंत्री ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 की बैठक में दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 से 09 दिसम्बर, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

06 दिसम्बर, 2019

विधायी कार्य–

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
2. व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
4. उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(30 मिनट)**
5. उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**
6. उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। **(15 मिनट)**

निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :–

1. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार को प्रेषित किया जाए कि अन्य परम्परागत वन निवासी जिनकी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियां 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हों, के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो किया जाए''।
2. श्रीमती ममता राकेश, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाए''।
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाए''।

4\. श्री देशराज कर्णवाल, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह इस उद्‌देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाए जाने की अनुमति प्रदान करें अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए''।

5\. श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाए जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए।''

6\. श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाए''।

7\. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा जारीः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियाँ की जाए''।

8\. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है, जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए''।

9. काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाए''।

10. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे हैं, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बंधित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गांव बनाया जाए''।

11. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाए''।

12. श्री हरबंस कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाय एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाए।''

13. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रु0 01 करोड़, मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया जाए।''

14. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनाई जाय।''

15. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए''।

16. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहां लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती कराई जाए''।

17. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाए''।

18. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाए''।

19. श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनी को उपलब्ध न कराएं''।

20. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चाः–

' 'इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने के लिए पात्रता निर्धारण किए जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/XVII–1/2013–01(20)2013 में दिए गए शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाए कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आएंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्‌भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए''

21. <u>निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :–</u>

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, 'यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए।''

2. श्री देशराज कर्णवाल, ''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24–25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गए हैं जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है? सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाए।''

22. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाए।''

23. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराई जाए।''

24. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाए जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाए।''

25. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गये व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिए जाने का प्राविधान किया जाय।''

26. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय ग्रस्त आपदा घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया कराई जाए ।''

27. श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डा0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाए।''

28. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाए।''

29. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराया जाए''।

30. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाए।''

31. श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाए।''

32. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जून, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र विशेष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आधारभूत सुविधाओं, सेवाओं आदि का विकास करते हुए, सार्थक प्रयास किए जाएं।''

33. <u>नियम–54 की सूचना का प्रस्तुतीकरण :–</u>

श्री देशराज कर्णवाल,	''आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय–व्यय निर्धारण में संविलीयन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण, जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक–पृथक मात्राकरण आय–व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय–व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करे।''

34. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाए।''

35. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाए।''

36. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाए।''

37. श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश की प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोड़, रुपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाए।''

38. श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गई घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर विचारः–

''सत्त विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

07 दिसम्बर ,2019 शनिवार अवकाश।

08 दिसम्बर ,2019 रविवार अवकाश।

09 दिसम्बर ,2019 सोमवार
(1) अनुदानवार अनुपूरक मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
(2) उत्तराखण्ड विनियोग (वर्ष 2019–20 का अनुपूरक) विधेयक, 2019 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।
(3) विधायी कार्य।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई, से सहमत है। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

सदन की कार्यवाही 01:00 बजे भोजनावकाश के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता मे पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना श्री करन माहरा, दूसरी सूचना श्री हरीश सिंह, तीसरी सूचना श्रीमती ममता राकेश, चौथी सूचना श्री आदेश सिंह चौहान एवं पांचवी सूचना श्री प्रीतम सिंह पंवार की कुल 05 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से श्री हरीश सिंह, श्रीमती ममता राकेश, श्री आदेश सिंह चौहान एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचनाएं स्वीकार की गई। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

श्री मा0 सदस्य श्री करन माहरा द्वारा प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति से सम्बन्धित मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण दोनों वर्गों के कर्मचारियों को सशर्त पदोन्नति दिए जाने सम्बन्धी नियम– 58 में उनके द्वारा दी गई सूचना अस्वीकार होने पर मा0 सदस्य ने अपनी सूचना पर चर्चा कराए जाने का अनुरोध श्री अध्यक्ष से किया। श्री अध्यक्ष ने कहा कि आपकी सूचना सुप्रीम कोर्ट में लम्बित होने के कारण इस परिधि नहीं आ पा रही है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि मा0 सदस्य ने स्वयं लिखकर दिया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उसके बाद उनकी सूचना कैसे ली जा सकती है? इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–61 में स्पष्ट है कि '' न्यायाधिकरण, आयोग आदि के विचाराधीन विषय पर चर्चा के लिए प्रस्ताव–ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हों जो किसी न्यायिक

या अर्द्ध न्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच इ या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हो।'' श्री अध्यक्ष ने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सूचना अस्वीकार की गई।

उत्तराखण्उ परिवहन निगम द्वारा खरीदी गई 150 नई बसों में तकनीकी खराबी मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एस0आई0टी0 जांच कराए जाने के सम्बन्ध में नियम–310 से नियम–58 में परिवर्तित सूचना पर मा0 नेता प्रतिपक्ष, तथा मा0 प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किए।

03 बजकर 20 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किएः–

1. श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल,
2. श्री करन माहरा,
3. श्री हरीश सिंह

03 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।

4. श्रीमती ममता राकेश
5. श्री राजकुमार
6. श्री मनोज रावत
7. श्री आदेश सिंह चौहान

परिवहन मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

मा0 सदस्य श्री हरीश सिंह द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नजूल भूमि/ग्राम समाज की भूमि/वन भूमि पर अध्यासित परिवारों को मालिकाना हक प्रदान किए जाने से सम्बन्धित नियम– 58 में उनके द्वारा दी गई सूचना पर चर्चा कराए जाने हेतु मा0 नेता प्रतिपक्ष एवं मा0 सदस्य श्री प्रीतम सिंह द्वारा श्री अध्यक्ष से संरक्षण दिए जाने का अनुरोध किया गया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने आपत्ति उठाते हुए कहा कि मा0 सदस्य की सूचना उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–58 में स्वीकार की गई है, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। दूसरा यह है जिस विषय की इन्होंने सूचना दी है, वह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित है। सदन की परम्परा कायम रहनी चाहिए। न्यायालय के पार्ट को छोड़कर श्री अध्यक्ष यदि कोई निर्णय देंगे तो सरकार चर्चा कराने को तैयार है । इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा, जो विषय न्यायालय के परिधि में आता है, उस विषय पर चर्चा न करें।

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र धारचूला में नजूल भूमि/ग्राम समाज की भूमि/वन भूमि पर अध्यासित परिवारों को मालिकाना हक प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत निर्धन एवं गरीब परिवारों हेतु चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए जारी किए जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में श्रीमती ममता राकेश ने भी अपने विचार व्यक्त किए। समाज कल्याण मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में किसानों को धान की फसल में हुए नुकसान का मुआवजा सही समय पर न दिए जाने के सम्बन्ध में श्री आदेश सिंह चौहान तथा नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

सुवाखोली–भवान–नगुण मोटर मार्ग में किमी0 01 से किमी0 18 तक के भाग को डेढ़ लेन न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रीतम सिंह पंवार ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री केदार सिंह रावत, माननीय सदस्य विधान सभा ने प्रस्ताव किया कि व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 में निम्नलिखित संशोधन किया जाए :–

धारा–4 (1) परन्तुक में 30 प्रतिशत अथवा कम से कम 100 के स्थान पर 30 प्रतिशत अथवा 250 कर दिया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि व्यवसाय संघ (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए।

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–15, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड जैविक कृषि विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **(15 मिनट)**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–3, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्रीमती ममता राकेश ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया :–

''यह सदन {उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद संशोधन) अध्यादेश, 2019} का अननुमोदन करता है।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

मद संख्या–43 पर श्री मनोज रावत, सदस्य विधान सभा का श्री अध्यक्ष द्वारा नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।

पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार प्रारम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बने।

पर्यटन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया जाए। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

म0 सदस्यों द्वारा निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण :–

1. श्री नवीन चन्द्र दुम्का, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि अनु0 जनजाति व अन्य परम्परागत वन (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तद्सम्बन्धी नियमावली 2008 में संशोधन हेतु संकल्प पारित कर भारत सरकार की प्रेषित किया जाए कि अन्य परम्परागत वन निवासी 13 दिसम्बर, 2005 से पहले तीन पीढ़ियां 75 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हो, के स्थान पर पीढ़ी 25 वर्ष से वन भूमि पर काबिज हों किया जाए''।**(मा0 अध्यक्ष द्वारा मा0 सदस्य श्री नवीन चन्द्र दुम्का का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)**

2. श्रीमती ममता राकेश, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि देवभूमि उत्तराखण्ड में शराब को पूर्ण प्रतिबन्धित किया जाए''।

उपर्युक्त असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

3. श्री प्रीतम सिंह पंवार, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि पर्वतीय क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा जिला चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों व पैरामेडिकल स्टाफ की शीघ्र तैनाती की जाए''।

उपर्युक्त असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी

4. श्री देशराज कर्णवाल, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि ''जाति व्यवस्था को आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन एवं समाज में समरूपता/एकरूपता बनाने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह इस उद्देश्य से नाम के पीछे जाति, गोत्र आदि सूचक शब्दों को हटाने के लिए आवश्यक विधि व्यवस्था निरूपित करें या राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के नाम के आगे उनकी जाति जो स्वेच्छा से लगाना चाहें उनके नाम के आगे उनकी जाति गोत्र सूचक शब्द लगाये जाने की अनुमति प्रदान करे अथवा प्रदेश में जिन लोगों के नाम के पीछे जाति/ गोत्र सूचक शब्द लगा हुआ है उन्हें तत्काल हटाया जाए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए''।

उपर्युक्त असरकारी संकल्प पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत अवस्थित भिलंगना विकास खण्ड की विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत विकास खण्ड का पुनर्गठन कर पृथक से एक नया ''बाल गंगा विकास खण्ड'' बनाए जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाय।'

श्री भरत सिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 09 जून, 2017 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि लोक निर्माण विभाग के कोर नेटवर्क में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार से संशोधन का निवेदन किया जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के बैक लॉग के पदों पर विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र नियुक्तियां की जाए''।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड जाखणीधार का भूगोल टिहरी बांध की झील बनने से अव्यवहारिक हुआ है, जिसे पुनर्गठन कर मदन नेगी अथवा रजाखेत के नाम से पृथक नया विकासखण्ड बनाए जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए''।

काजी मौ0 निजामुद्दीन, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :—

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त हुए समस्त वित्तीय घोटालों की जांच हाईकोर्ट के सेवारत न्यायाधीश से कराई जाए''।

श्री नवीन चन्द्र दुम्का, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :—

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत स्थित बिन्दुखत्ता, तहसील लालकुआं, जिला नैनीताल, एवं अन्य खत्तों व ऐसे अन्य गांवों जो वन भूमि पर बसे है, में निवास कर रहे नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए ऐसे सम्बन्धित समस्त क्षेत्रों को राजस्व गाँव बनाया जाए''।

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :—

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भगवानपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाए''।

श्री हरबन्स कपूर, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :—

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गाय को भारतीय कृषि, आर्थिकी तथा आध्यात्म का आधार होने के कारण राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकृति दी जाए एवं इस राष्ट्रीय पशु के संरक्षण एवं विकास हेतु ''राष्ट्रीय गाय विकास प्राधिकरण का गठन भी किया जाए।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :—

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना में से प्रतिवर्ष रु0 01 करोड़, मन्दिरों तथा पंचायत स्थलों के विकास, जीर्णोद्धार, सौन्दर्यीकरण, पुनर्निर्माण के लिए स्वीकृत किए जाने का प्रावधान किया जाए।''

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :—

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर नीति बनाई जाए।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड कालसी एवं चकराता के मूल निवासी अछूत कोल्टा जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाए''।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है, कि सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्रों में जहां लोग विभिन्न कारणों से कृषि कार्य नहीं कर रहे हैं, के सम्पूर्ण भाग पर सरकारी अथवा सहकारिता के माध्यम से कृषि, बागवानी, सगन्ध पुष्प अथवा अन्य कोई रोजगारपरक खेती कराई जाए''।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मत्स्य विकास प्राधिकरण द्वारा दिसम्बर 2016 में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लगभग 60 पदों पर बिना आरक्षण के माध्यम से आउट सोर्सिंग/उपनल से तथा 14 पदों पर संविदा के द्वारा बिना विज्ञप्ति एवं आरक्षण लागू न करते हुए भर्ती की गई। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए जांच की जाए''।

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन धारकों की पेंशन में दोगुनी वृद्धि की जाए''।

श्री धन सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि उत्तराखण्ड राज्य में ई–नेटवर्किंग में मोबाईल कार्य हेतु कार्यरत सभी कम्पनियां अपने–अपने उपभोक्ताओं की किसी भी तरह की जानकारियां किसी अन्य कम्पनी को उपलब्ध न कराएं''।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तराखण्ड राज्य में राज्य गठन से पूर्व राज्य में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने के लिए पात्रता निर्धारण किए जाने की शर्तों में शासनादेश संख्या–1118/XVII–1/2013–01(20)2013 में दिए गए शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा0प्रा0/2001 दिनांक 20 नवम्बर, 2001 में दी गई व्यवस्था पर पुनर्विचार करते हुए यह माना जाए कि शासनादेश के बिन्दु संख्या–02 में उल्लेख है कि इस श्रेणी में वही व्यक्ति आएंगे जिनका स्थाई आवास उत्तरांचल में हो, तथा उत्तरांचल के सद्भाविक (Bonafide Residents) निवासी हों, यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाए''।

<u>म0 सदस्यों द्वारा निम्नलिखित 105 के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :–</u>

1. श्री प्रीतम सिंह पंवार, ''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित ग्रामीण काश्तकारों के पुनर्वास से सम्बन्धित वाद एवं लम्बित शिकायतों का शीघ्र समाधान किया जाए।''

उपर्युक्त प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

2. श्री देशराज कर्णवाल, ''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सरकार द्वारा सीधी भर्ती का रोस्टर बदलकर अनु0 जाति को पहले स्थान से हटाकर 06 वां स्थान करने पर तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 07 से हटाकर 08 वां स्थान करने तथा अनुसूचित जनजाति के क्रमांक 24–25 वां स्थान करने से इस वर्ग के लोग हो रहे लाभ से वंचित हो गए हैं, जबकि फरवरी 2019 में ही रोस्टर बदलने का क्या कारण है सरकार द्वारा तत्काल पूर्व रोस्टर को पुनः स्थापित किया जाए।''

उपुर्यक्त प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में स्थापित औद्योगिक ईकाइयों में प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार प्रदान करने में बाहरी प्रदेशों के बेरोजगार युवकों की अपेक्षा से अधिक अवसर प्रदान करने पर विचार किया जाए।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश में एक कार्य एक टेण्डर के स्थान पर छोटी–छोटी योजनाओं के टेण्डर पर कार्य कराए जाएं।''

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि बी0डी0 इन्टर कालेज भगवानपुर, हरिद्वार में स्टेडियम निर्माण हेतु जनपद हरिद्वार में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त उक्त स्थल मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु उपयुक्त पाए जाने के फलस्वरूप स्टेडियम निर्माण कराने पर विचार किया जाय।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में वाहन दुर्घटनाओं तथा दैवीय आपदा के अन्तर्गत मारे गए व्यक्तियों को एक समान प्रतिकर/अहेतुक सहायता राशि दिए जाने का प्राविधान किया जाए।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि भारी वर्षा के कारण प्रदेश में काफी जन हानि एवं आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिस हेतु प्रदेश सरकार राज्य को दैवीय आपदा ग्रस्त घोषित करते हुए केन्द्र सरकार को इस आशय का प्रस्ताव भेजे कि केन्द्र सरकार द्वारा इसकी भरपाई करने हेतु राज्य को विशेष अनुदान राशि मुहैया कराई जाए ।''

श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि विधान सभा भवन, भराड़ीसैंण के मुख्य परिसर का नाम भारत रत्न डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर ''डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विधान सभा कर दिया जाए।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के समस्त अशासकीय विद्यालयों में 1992 से अब तक एस0सी0/एस0टी0/ओ0 बी0सी0 के रिक्त पदों पर यथाशीघ्र नियुक्ति की जाए।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि ट्रामा सेन्टर कण्डीसौड़ (छाम) विकास खण्ड थौलधार, जनपद टिहरी गढ़वाल को शीघ्र संचालित कराय जाए''।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि सन् 1822 की क्रान्ति को पहली स्वतंत्रता क्रान्ति मानते हुए यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से भारत सरकार को भेजा जाए।''

श्री प्रीतम सिंह पंवार, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन सरकार से प्रस्ताव करता है, कि राज्य में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत व पुनर्निर्माण कराया जाए।''

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 25 जून, 2019 को प्रस्तुत नियम–105 के निम्नलिखित प्रस्ताव पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है, कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र विशेष में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित आधारभूत सुविधाओं, सेवाओं आदि का विकास करते हुए, सार्थक प्रयास किए जाएं।''

<u>म0 सदस्य द्वारा नियम–54 की निम्नलिखित सूचना का प्रस्तुतीकरण :–</u>

श्री देशराज कर्णवाल, ''आयोजनागत एवं आयोजनोत्तर योजनाओं के आय–व्यय निर्धारण में संविलीयन होने से एस0सी0पी0 एवं टी0एस0पी0 का मात्राकरण जो पूर्व में इनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता था, उस व्यवस्था के समाप्त होने के कारण पृथक–पृथक मात्राकरण आय–व्यय के नहीं होने के कारण इन योजनाओं का अस्तित्व ही निरर्थक हो गया है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आय–व्यय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः इनके मात्राकरण के लिए तत्काल सरकार नीति निर्धारित करे।''

उपर्यक्त सूचना पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''प्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कार्मिकों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किया जाए।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''प्रदेश की आर्थिक एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए इस सदन में चर्चा कराई जाए।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 06 दिसम्बर, 2018 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के कार्मिक विभाग के अन्तर्गत ''इरशाद हुसैन'' आयोग का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर अभी तक नहीं रखी गई है। सदन के पटल पर यह रिपोर्ट अविलम्ब रखी जाय।''

श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2019 को प्रस्तुत नियम–54 की निम्नलिखित सूचना पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश की प्राइवेट शुगर मिलों से किसानों की कई सौ करोड़, रुपये गन्ने की बकाया रकम दिलाने हेतु इस सदन में चर्चा कराई जाय।''

श्री अध्यक्ष द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2018 को सदन में की गई घोषणा के अनुक्रम में दिनांक 24 मार्च, 2018 को विचाराधीन निम्नलिखित विषय पर **चर्चा जारी रहेगी** :–

''सतत विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0)''

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से:–

मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना की सूचना जो कि जनपद चमोली विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा उजवलपुर, डुंग्री, जसपुर मोटर–मार्ग पर आटागाड़ नदी पर पुल न बनने से यातायात अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य कि लिए तथा

मा0 सदस्य श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल की सूचना जो कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की समयावधि सर्दियों में प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक कराए जाने के सम्बन्ध में है को नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य कि लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

शेष सूचनाएं अस्वीकार हुईं।

उत्तराखण्ड में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायक कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने एवं मानदेय बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में, श्रीमती ममता राकेश, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

रुद्रपुर में राजकीय उद्यान फार्म एवं 31 वीं वाहिनी पी0ए0सी0 के मध्य स्थित सड़क सम्पर्क मार्ग पुनः खुलवाने के सम्बन्ध में, श्री राजकुमार ठुकराल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 को दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का नियम–53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 05:00 बजकर 25 मिनट पर सोमवार, दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई

(जगदीश चन्द्र)
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

(प्रेमचन्द अग्रवाल)
अध्यक्ष,
विधान सभा।